संख्या-17/2019/679/96-आयुष-2-2019-142/2018

प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक 09 मार्च, 2019

विषय- जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय, रायबरेली के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1072-बी/82/18-19/1686, दिनॉक 08-03-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 के प्राविधानानुसार जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय, रायबरेली के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 34 लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-05-होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष रू0 47.68 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 02.32 लाख (रू0 दो लाख बत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है:-

1. ऑगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की है।
2. ऑगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जाये।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।
4. प्रयोजना अंतर्गत कार्यमदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यॉकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियॉ सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य किया जायेगा।
6. परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आयुष कालेज के प्रधानाचार्य एवं संबंधित निदेशक का होगा।
7. परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई/सम्बन्धित आयुष कालेज के प्रधानाचार्य एवं निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

8. प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुडस) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0 टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट, ई0मार्केट प्लस (जेम पोर्टल) से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आयुष कालेज के प्रधानाचार्य एवं अन्य जिला स्तर की प्रायोजनाओं में संबंधित निदेशक का होगा।
10. प्रायोजना में सम्मिलित जो कार्य प्रोपराईटरी श्रेणी का कार्य हैं एवं इनके शेड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं निदेशक द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।
11. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
12. प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।
13. उपकरण/फर्नीचर क्रय, बॉट आउट एवं प्रोपराईटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
14. प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त निर्माण कार्यों की लागत पर ही आकस्मिक व्यय, लेबर सेस एवं सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।
15. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
16. सम्बन्धित परियोजनाओं के ऑगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को ही उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।
17. वित्त (बजट) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/20-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक- 03.08.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. यदि प्रस्तावित प्रायोजना अन्तर्गत उच्च विशिष्टियॉ सम्मिलित हैं तो उच्च विशिष्टियों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
19. अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्त करने के पश्चात वीडियोग्राफी इस तरह से करायी जायेगी जिससे कि अनुरक्षण के कार्य स्पष्ट सत्यापित किये जा सकें।
20. निदेशक/प्राचार्य एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
21. प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की गुणवत्ता रिपोर्ट एवं निदेशक/प्राचार्य द्वारा संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चात ही द्वितीय किश्त निर्गत की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
सचिव।

संख्या- 17/2019/679(1)/96-आयुष-2-2019 तददिनॉक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथिक निदेशालय, लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, रायबरेली।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0बी0एस0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।